महत्वपूर्ण

संख्या-5/2015/1047/31-2015-76/2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

2-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्यक्रम कर्यान्वयन विभाग, लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2015

विषय:- विकास एजेण्डा, वर्ष 2015-16 का जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-2/2015/293/31-2015-76/2014 दिनांक 28 जनवरी, 2015 द्वारा शासन के 165 सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को सूत्रों के रूप में चिन्हित करते हुए "उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2015-16" निर्गत किया गया है।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एजेण्डा वर्ष 2015-16 में सम्मिलित 165 सूत्रों में से चिन्हित 47 सूत्रों (सूची संलग्न) के समयबद्व कार्यान्वयन हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी समीक्षा एवं प्रभावी अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा सम्बन्धित सूत्रों की समीक्षा हेतु प्रपत्र निर्धारित कर विभाग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड कराए जाएंगे। चिन्हित सूत्रों के जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

2- सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने स्तर पर संलग्नक सूत्रों के प्रभावी एवं समयबद्व कार्यान्वयन हेतु गहन समीक्षा करें। जिलाधिकारी द्वारा प्रपत्रों पर प्रगति सूचना तैयार कराके समीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त को विलम्बतम प्रत्येक माह की 07 तारीख तक भेजी जाएगी। मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्येक माह की 12 तारीख तक प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मण्डलायुक्त द्वारा समीक्षा किए जाने के उपरान्त जिलाधिकारी प्रत्येक माह की 14 तारीख को सायं 5.00 बजे तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट http://pid.up.nic.in पर उपलब्ध विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के लिंक पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। शासन द्वारा प्रत्येक माह की 14 तारीख सायं 5.00 बजे के उपरान्त वेबसाइट को लॉक कर दिया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- एजेण्डा में सम्मिलित बिन्दुओं की महत्ता एवं समीक्षा की गहनता के दृष्टिगत जनपद एवं मण्डल स्तर पर एक बैठक करने के स्थान पर जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार माह में सेक्टर-वार बैठकें निर्धारित कर सम्बन्धित सेक्टर की गहन समीक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार मण्डलायुक्तों द्वारा भी मण्डल स्तर पर सेक्टर-वार विभागों की अलग-अलग बैठकें कर एजेण्डा बिन्दुओं की गहन समीक्षा किया जाना श्रेयस्कर होगा। यह आवश्यक नहीं है कि मण्डल स्तर पर सेक्टर-वार सभी बैठकों में जिलाधिकारी उपस्थिति रहें।

4- जिलाधिकारी अथवा मण्डलायुक्त यदि किसी समस्या अथवा विशिष्ट बिन्दु पर शासन/मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हों, तो वे इस सम्बन्ध में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को भी उपलब्ध कराएंगे।

5- पुन: उल्लेख करना समीचीन होगा कि विकास एजेण्डा वर्ष 2015-16 प्रदेश में समस्त विकास सम्बन्धी गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है तथा इसका कार्यान्वयन शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। एजेण्डा बिन्दुओं पर जनपद/मण्डल द्वारा अर्जित की गई प्रगति को सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त की उपलब्धियों के रूप में भी आंकलित किया जाएगा तथा वार्षिक मूल्यॉकन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जायेगा कि आप द्वारा विकास एजेण्डा पर कितनी सार्थक और परिणामजनक कार्यवाही की गई है।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-5/2015/1047(1)/31-2015-76/2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव/सचिव (संलग्न सूची के अनुसार) उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित सूत्रों के प्रपत्रों का अध्ययन कर लें तथा यदि प्रपत्रों में किसी प्रकार का संशोधन, परिमार्जन एवं परिवर्तन की आवश्यकता हो तो

http://shasanadesh.up.nic.in

संशोधनकर दिनांक 05 अप्रैल, 2015 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रपत्रों को अन्तिम रूप देकर जनपदों/मण्डलों को प्रेषित किया जा सके। यह भी अनुरोध करना है कि सूत्रों/कार्यक्रमों का ससमय कार्यान्वयन हेतु जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कर जनपदों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

6- तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (राज्य मुख्यालय), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/2015/1047(2)/31-2015-76/2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक

क्र0 सं0	विभाग का नाम
1	वित्त
2	कृषि
3	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
4	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
5	पशुधन
6	लोक निर्माण
7	ऊर्जा
8	माध्यमिक शिक्षा
9	बेसिक शिक्षा
10	व्यावसायिक शिक्षा
11	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
12	बाल विकास एवं पुष्टाहार
13	समाज कल्याण
14	अल्पसंख्यक कल्याण
15	खाद्य एवं रसद
16	राजस्व
17	श्रम
18	समग्र ग्राम विकास
19	ग्राम विकास
20	नगर विकास
21	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
22	गृह
23	नियोजन
24	परिवहन
25	वन
26	युवा कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक

उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2015-16

जनपद/मण्डल स्तर पर समीक्षा हेतु चिन्हित एजेण्डा बिन्दु

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
1	2	3
1	प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।	वित्त
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।	कृषि
4	सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना किया जाना।	कृषि
5	पारदर्शी किसान योजना का कार्यान्वयन।	कृषि
7	क- कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब की स्थापना। ख- नवीन मण्डियों की स्थापना। ग- किसान बाजार का विकास।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
8	एकीकृत बागवानी विकास मिशन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
9	क- उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का प्रभावी कार्यान्वयन। ख- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
11	उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।	पशुधन
12	कामधेनु डेयरी इकाईयों की ब्याज-मुक्त ऋण योजना (100/50 गाय-भैंस) का प्रभावी कार्यान्वयन।	पशुधन
24	समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ा जाना।	लोक निर्माण
27	प्रदेश में कोर रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं चक्रानुसार शतप्रतिशत मरम्मत किया जाना।	लोक निर्माण
37	राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 11 वीं	ऊर्जा

http://shasanadesh.up.nic.in

	पंचवर्षीय योजना एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन।	
39	ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाना।	ऊर्जा
54	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत नवीन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
55	मॉडल स्कूलों में बाउन्ड्रीवाल एवं बालिका छात्रावास निर्माण किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
57	मेघावी छात्राओं के लिए संशोधित पुर्नगठित कन्या विद्या धन योजना।	माध्यमिक शिक्षा
59	सर्व शिक्षा अभियान।	बेसिक शिक्षा
62	कौशल विकास मिशन।	व्यावसायिक शिक्षा
74	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
75	वर्ष 2012 से पूर्व एवं वर्ष 2012 के पश्चात निर्माणाधीन जिला चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों की प्रगति।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
79	स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख इंडिकेटरों में सुधार लानाः- क- संस्थागत प्रसव में 10 प्रतिशत की वृद्धि। ख- पूर्ण प्रतिरक्षण में 10 प्रतिशत की वृद्धि। ग- आधुनिक गर्भ निरोधक तकनीकों/विधियों के प्रयोग में 10 प्रतिशत की वृद्धि।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
83	प्रत्येक जनपद में आधुनिक मर्चुरी/पोस्टमार्टम हाउसेस का निर्माण किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
85	राज्य पोषण मिशन।	बाल विकास एवं पुष्टाहार
92	समाजवादी पेंशन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	समाज कल्याण
94	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किया जाना।	समाज कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in

95	मल्टी-सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम।	अल्पसंख्यक कल्याण
96	प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक हब की स्थापना किया जाना।	अल्पसंख्यक कल्याण
99	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाना।	खाद्य एवं रसद
102	क- कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन। ख- आम आदमी बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	राजस्व
104	सेस के लक्ष्य को क्षमता के अनुरूप बढ़ाकर संग्रहीत किया जाना तथा उपयुक्त योजनाएं बनाकर श्रमिकों के कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाना।	श्रम
107	डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।	समग्र ग्राम विकास
108	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''प्रेरणा''।	ग्राम्य विकास
109	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।	ग्राम्य विकास
110	क- लोहिया ग्रामीण आवास योजना। ख- इन्दिरा आवास योजना।	ग्राम्य विकास
111	प्रदेश के ब्लॉकों की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर किया जाना।	ग्राम्य विकास
116	जनेश्वर मिश्र ग्राम्य योजना।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
124	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (यू.आई.जी., बी.एस.यू.पी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. घटकों सहित) के अवशेष कार्यों को पूर्ण किया जाना।	नगर विकास
128	क- राजीव आवास योजना। ख- शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
130	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
135	प्रदेश की तहसीलों की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर किया जाना।	राजस्व
137	क- राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना।	राजस्व

http://shasanadesh.up.nic.in

	ख- भू-मानचित्र (शजरा) का डिजिटाइजेशन एवं कम्प्यूटराइजेशन किया जाना।	
144	प्रदेश के थानों की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर किया जाना।	गृह
153	आधार कार्ड हेतु नामांकन तथा चयनित केन्द्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन तथा आधार कार्ड के साथ लिंकेज का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना।	नियोजन
154	विभिन्न विभागों की 75 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति प्राप्त अवस्थापनाओं का ई-अनुश्रवण करते हुए इन्हें पूर्ण किया जाना तथा इन सभी तथा पूर्व निर्मित भौतिक अवस्थापनाओं को जनोपयोगी बनाया जाना।	नियोजन
160	सड़क सुरक्षा नीति का परिवहन, गृह, लोक निर्माण एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के समन्वय से प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना।	परिवहन
162	प्रत्येक जनपद में विभिन्न स्थानों पर हरित पट्टी का विकास करके कुल 50 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाना।	वन
163	राजीव गांधी खेल अभियान।	युवा कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in